संख्या-55/2015/2042 ई-2/तेरह-2015-25/2011

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 29 अक्टूबर,2015

विषय:- होटल रन्जीस (ए यूनिट आफ श्री कान्स्ट्रक्सन्स एण्ड लीज्योर प्रा0लि0) सीएफ-2 विक्रान्त खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-947/जि0आ0अ0/बार-अनुज्ञापन/लखनऊ/2015-16, दिनांक 19 अगस्त,2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19 अगस्त,2015 के साथ प्राप्त आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला बार समिति की बैठक दिनांक 14-8-2015 में जिला बार समिति द्वारा की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-77/दस-लाइसेंस-1/खण्ड-10/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 27 अगस्त,2015 में की गई संस्तुति तथा अन्य समस्त सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त होटल रन्जीस (ए यूनिट आफ श्री कान्स्ट्रक्सन्स एण्ड लीज्योर प्रा0लि0) सीएफ-2 विक्रान्त खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में वर्ष 2015-16 के लिये एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत, सृजित/व्यवस्थित किये जाने के सम्बन्ध में शासन की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संख्या-55/2015/2042(1) ई-2/तेरह-2015, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-77/दस-लाइसेंस-1/खण्ड-10/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/लखनऊ, दिनांक 27 अगस्त,2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in